



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012024-251352
CG-DL-E-15012024-251352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2024/पौष 25, 1945

No. 35]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2024/PAUSHA 25, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

सं. 01/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 41(अ).—जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'मेटा फिनायलीन डायामाइन' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तुओं से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 2921 51 20 या 2921 51 90 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2019- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 24 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. सं. 46(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन तथा प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार अधिसूचना संख्या 7/06/2023- डीजीटीआर, दिनांक 30 जून, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग I, खंड 1 में प्रकाशित, समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/06/2023- डीजीटीआर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 जिसे

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग I, खंड 1 में दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत देश से आयातों घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारतीय मांग के सापेक्ष पूर्ण रूप से पर्याप्त बना हुआ है, भले ही मूल जांच के बाद से मात्रा में थोड़ी गिरावट आई है;
- (ii) डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- (iii) विषयगत देश में डंप किए गए आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं;
- (iv) इस स्तर पर मौजूदा प्रतिपादन शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में न केवल जारी रहने बल्कि डंपिंग बढ़ने और इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग को नुकसान होने की भी संभावना है,

और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए, विषयगत देश में उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपादन शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 24 जनवरी, 2019 जिसे सा.का.नि. सं. 46(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपादन शुल्क के आधार पर आयातित है पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपादन शुल्क लगाती है, यथा-

सारणी

क्र.स.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	माप की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29215120 या 29215190	मेटा फिनायलीन डायामाइन *	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजियांग एमिनो कैम कं. लि.	1.50	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या-1 के अलावा कोई भी उत्पादक	1.71	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1.71	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन

*मेटा फिनायलीन डायामाइन को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है एम- फिनायलीन डायामाइन, 1, 3-डायमीनोबेन्जीन, 1, 3-बेन्जीनडायामाइन, एम-अमीनोएनीलाइन, एम-बेंजीनडायामाइन, एम-डायामीनोबेनजीन, 1, 3-फिनायलीनडायामाइन, 3-एमीनोएनीलाइन, एम-फिनायलीनडायामाइन, फिनायलीनडायामाइन और एम-अमीनोएलाइन, फिनायलीनडायामाइन मेटा।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया जाने वाला प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लगाया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वहीं होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के

तहत प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/255/2023-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2024

No. 01/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 41(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification number 7/06/2023-DGTR, dated the 30th June, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th June, 2023, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Meta Phenylene Diamine” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item(s) 2921 51 20 or 2921 51 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 5/2019-Customs (ADD), dated the 24th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 46(E), dated the 24th January, 2019;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification number 7/06/2023-DGTR, dated the 23rd October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 23rd October, 2023, has come to the conclusion that-

- (i) the imports from the subject country have remained substantial in absolute terms as well as relative to the domestic industry's production and in the Indian demand, even though the volume has declined slightly since the original investigation;
- (ii) the production, sales, capacity utilization of the domestic industry is adversely impacted on account of dumped imports;
- (iii) dumped imports from subject country are causing injury to the domestic industry;
- (iv) there is likelihood of not only continuation but also intensification of dumping and consequent injury to the Indian industry in the event of cessation of the existing anti-dumping duties at this stage,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 5/2019-Customs (ADD), dated the 24th January, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 46(E), dated the 24th January, 2019, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item(s) of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No.	Tariff Item(s)	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Currency	Unit of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29215120 or 29215190	Meta Phenylene Diamine*	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Amino-Chem Co., Ltd	1.50	USD	MT
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial number 1	1.71	USD	MT
3.	-do-	-do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	1.71	USD	MT

*Meta Phenylene Diamine , also known as m- Phenylene Diamine, 1,3- diaminobenzene, 1, 3- Benzenediamine, m- Aminoaniline, mBenzenediamine, m- Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine, 3- Aminoaniline, mFenylendiamin, Phenylenediamine, and m-Aminoaline, Phenylenediamine meta.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/255/2023-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.